

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं**. 1866] No. 1866] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2016/श्रावण 3, 1938

NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2016/SRAVANA 3, 1938

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2016

का.आ. 2523 (अ).— बिहार राज्य में नीलगाय और जंगली सुअर को पीड़क जंतु घोषित करने वाली राजपत्र अधिसूचना का.आ. 3318 (अ) दिनांक 1 दिसंबर, 2015 में अधिसूचना के हिंदी रूपांतरण में अधिसूचना के पृष्ठ 3, पैरा II, क्रम सं. I में लिखे गए जिला का नाम 'मृजफ्फरनगर' को 'मृजफ्फरप्र' के रूप में पढ़ा जाएगा।

राजपत्र अधिसूचना की शेष विषय वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

[फा.सं. 1-64/2015-डब्ल्यूएल- I]

एस. के. खंडूरी, वन महानिरीक्षक (वन्यजीव)

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th July, 2016

S.O. 2523(E).— In the Gazette Notification S.O. 3318(E) dated 1<sup>st</sup> December, 2015 declaring Nilgai and Wild Pig as vermin in the State of Bihar, the district name written as 'मुजफ्फरनगर' in page 3, para II, S.No. 1 of the notification shall be read as 'मुजफ्फरपुर' in Hindi version of the notification.

There shall be no change in the rest of the content of the Gazette Notification.

[F. No. 1-64/2015-WL-I]

S. K. KHANDURI, Inspector General of Forests (WL)